सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 28 राँची, बुधवार 3 कार्तिक, 1937 (श०) / 25 अक्टूबर, 2017 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 852-909

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

18 सितम्बर, 2017

संख्या- वि०स०वि०-19/2017- 2001 / वि०स० -- झारखण्ड विधान सभा की अधिसूचना संख्या- वि०स०वि०-19/2017-1792, दिनाक 22 अगस्त, 2017 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा की दशम (मानसून) सत्र में दिनाक 11 अगस्त, 2017 को पारित प्रस्ताव के आलोक में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने "झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2017" पर विचार के लिए झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-72 के अधीन गठित प्रवर समिति का कार्यकाल दिनाक 30 नवम्बर, 2017 तक विस्तारित किया जाता है |

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

11 अगस्त, 2017 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-13/2017- 2450 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 11 अगस्त, 2017 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है । प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव

झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

[वि०स०वि०-11/2017]

ऊर्जा विभाग

झारखण्ड लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2017

झारखण्ड राज्य में लिफ्टों और एस्केलेटरों तथा उनसे संबद्ध सभी मशीनरी और उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन, रखरखाव तथा निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करने के लिए एक विधेयक ।

यह भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

1) यह अधिनियम झारखण्ड लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम, 2017 कहलायेगा ।

2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

3) यह सरकार द्वारा राजपत्र में निर्गत अधिसूचना में यथा नियत तारीख से प्रवृत होगा ।

2. परिभाषाएँ:- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक इस अधिनियम में:-

क) "स्वचालित बचाव प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली जिसमें यदि भवन में बिजली चली जाती है तो लिफ्ट अपने निकटतम सतह पर रूक कर खुल जायेगा;

ख) "एस्केलेटर" से अभिप्रेत है सवारियों को ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए बिजली पर निरंतर चलने वाली सीढ़ी;

ग) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार;

घ) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम 36,2003) की धारा-162 की उपधारा-(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वह विद्युत निरीक्षक, जिसकी अधिकारिता में वह लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन स्थल आता है;

ड0) "लिफ्ट" से अभिप्रेत है, बिजली से चलने वाली ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए पिंजरानुमा यंत्र प्रणाली, वास्तव में जिसका उपयोग सवारी या माल या दोंनों को ढोने के लिए किया जाता है;

च) "लिफ्ट पिंजरा" से अभिप्रेत है लिफ्ट का कार या पिंजरा जिसका उपयोग सवारी या माल या दोनों के परिवहन के लिए किया जाता है;

छ) "लिफ्ट अधिष्ठापन" में शामिल है लिफ्ट पिंजरा, लिफ्ट मार्ग, लिफ्ट मार्ग का घेरा एवं लिफ्ट परिचालन की यांत्रिक प्रणाली तथा रज्जु, केबल, तार, सुरक्षा उपबंध तथा लिफ्ट परिचालन से संबंधित यंत्र एवं मशीनरी;

ज) "लिफ्ट मार्ग" से अभिप्रेत है, धूरा या हविश जिसमें लिफ्ट पिंजरा आता जाता है;

झ) "लिफ्ट मार्ग घेरा" में शामिल है लिफ्ट मार्ग के चारों ओर या बंद करने के लिए वास्तविक संरचना;

ञ) "मालिक" से अभिप्रेत हैं सोसाईटी या संगम या संपूर्ण परिसर या उसके किसी भाग के मालिक या अधिभोगी या अभिधारी जिसने निबंधन के लिए आवेदन किया है;

ट) "सवारी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो अपने परिवहन के प्रयोजनार्थ लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग करता है;

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ लिफ्ट प्रचालक भी सवारी माना जायेगा ।

ठ) "बिजली" में विद्युत, जल विद्युत, पवन विद्युत या यांत्रिकी विद्युत आदि अथवा इनका कोई संयोजन शामिल है;

ड) "परिसर" से अभिप्रेत है, कोई संरचना चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी और जहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किया गया है;

ढ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

ण) "निबंधन" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा-4 के अधीन निरीक्षक द्वारा लिफ्ट या एस्केलेटर की संख्या नियत करना;

त) "धारा" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा;

थ) "राज्य" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य ;

3. पदाधिकारियों और पदधारियों की नियुक्ति:-

1) सरकार द्वारा सौंपे गये कृत्यों के निष्पादनार्थ या इस अधिनियम के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक मुख्य विद्युत निरीक्षक और यथा आवश्यक निरीक्षकों, अन्य पदाधिकारियों एवं पदधारियों की नियुक्ति करेगी, जो यथा विहित अर्हता रखते हों;

2) मुख्य विद्युत निरीक्षक राज्य के निरीक्षकों और अन्य पदाधिकारियों एवं पदधारियों पर आम अधिक्षण एवं नियंत्रण रखेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक निदेश निर्गत करेगा;

4. निबंधन

1) लिफ्ट या एस्केलेटर के अधिष्ठापन के पश्चात उसका मालिक एक माह के भीतर ऐसी लिफ्ट या एस्केलेटर के निबंधन हेतु यथा विहित शुल्क के साथ विहित फारम में आवेदन करेगा । शुल्क अप्रतिदेय होगा;

2) सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निरीक्षक 30 दिनों के भीतर लिफ्ट या एस्केलेटर की संख्या नीयत करते हुए इन्हें निबंधित करेगा;

3) लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रत्येक मालिक लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्बाध एवं निरापद संचालन हेतु किसी लिफ्ट या एस्केलेटर रख-रखाव कम्पनी द्वारा की गई संविदा या व्यवस्था को प्रमाण स्वरूप देते हुए लिफ्ट या एस्केलेटर के वार्षिक रख-रखाव की संविदा या की गई कोई अन्य व्यवस्था की प्रति प्रत्येक वर्ष निरीक्षक को देगा ।

4) लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रत्येक मालिक लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्बाध एवं निरापद संचालन के लिए यथा विहित फारम में एवं रीति से सभी वार्षिक सुरक्षा प्रमाण पत्र देगा;

5. स्वचालित बचाव प्रणाली:-

बिजली चली जाने की दशा में लिफ्ट में फंसे सवारियों को बचाने हेतु उसका मालिक स्वचालित बचाव प्रणाली की व्यवस्था करेगा, जिसमें लिफ्ट अपने निकटतम सतह पर आकर रूकेगा तथा उसका दरवाजा खुल जायेगा ।

6. वैकल्पिक बिजली आपूर्ति प्रणाली:-

बिजली चली जाने की दशा में लिफ्ट का कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए मालिक 30 सेकेंड के भीतर वैकल्पिक स्वचालित बिजली आपूर्ति प्रणाली की व्यवस्था करेगा ।

7. निरीक्षण:-

निरीक्षक या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या अभिकरण द्वारा निबंधित प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर का निरीक्षण तीन वर्षों में एक बार किया जायेगा । ऐसे निरीक्षण के लिए किसी अन्य विद्युत अधिष्ठापन जाँच शुल्क के अतिरिक्त विहित शुल्क लिया जायेगा ।

8. व्यवहार संहिता:-

1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के प्रयजनों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत व्यवहार संहिता, यदि कोई हो का पालन किया जायेगा, (जिसमें राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता भी शामिल है) तथा कोई असंगति पायी जाने की दशा में इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध अभिभावी होगा;

2) प्रयुक्त सामग्री एवं उपकरण संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश से संपूष्ट होंगे, जहाँ ऐसे विनिर्देश पहले ही अधिकथित हैं;

3) परिसरों में अधिष्ठापित किये जाने वाले लिफ्टों या एस्केलेटरों की संख्या और उनके बीच की परस्पर दूरी भारतीय मानक ब्यूरो एवं राष्ट्रीय भवन संहिता की सुसंगत व्यवहार संहिता से शासित होंगे;

9. विद्यमान लिफ्टों या एस्केलेटरों का निबंधन:-

1) धारा-4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा प्रत्येक मालिक जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारिख से पुर्व परिसरों में लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन किया है वह इसके प्रभावी होने के दो माह की अवधि के भीतर ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के निबंधन के लिए आवेदन करेगा;

2) ऐसे आवेदन पर धारा-4 की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के उपबंध लागू होंगे;

10. निरीक्षण के लिए किसी भवन में प्रवेश करने का अधिकार:-

कोई निरीक्षक सभी उपयुक्त समय में सरकारी सेवा में रहने वाले किसी सहायक, यदि कोई हो, के साथ जैसा वह उचित समझे, किसी ऐसे परिसर में जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किये गये

हैं अथवा जिनके निबंधन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं लिफ्ट या एस्केलेटर या उनके अधिष्ठापन या उनके कार्यस्थल के निरीक्षण के लिए प्रवेश कर सकते है ।

11. असुरक्षित अवस्था वाले लिफ्ट या एस्केलेटर:-

धारा-7 के अधीन निरीक्षण करने के उपरांत यदि निरीक्षक यह पाता है कि किसी भवन का कोई लिफ्ट या एस्केलेटर असुरक्षित अवस्था में है, तो वह ऐसे मालिक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे लिफ्टों या एस्केलेटरों की यथा आवश्यक मरम्मत या परिवर्तन कराने का निदेश दे सकता है अथवा वह उसका उपयोग तब तक रोक सकता है, जबतक कि उसका समाधान न हो जाय कि ऐसी मरम्मत या परिवर्तन करा लिये गये हैं या असुरक्षित अवस्था दूर कर ली गई है ।

12. सील करना:-

1) कोई लिफ्ट या एस्केलेटर जिसके संबंध में धारा-11 के अधीन कोई निर्देश निर्गत किया गया है, उसका निरीक्षक के समाधान होने तक पालन नहीं किया गया है, ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर को यदि उसी अवस्था में चलता हुआ पाया जाता है, तो निरीक्षक द्वारा उसे सील करने का आदेश दिया जा सकता है;

2) उपधारा-(1) के अधीन किये गये आदेश के विरूद्ध कोई अपील मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड के पास की जायेगी और उनका निर्णय अंतिम होगा;

13. बीमा:-

ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन पूरा होने के पश्चात मालिक को तृतीय पक्ष बीमा सुनिश्चित करना बाध्यकारी होगा ताकि उसका उपयोग करने वाले सवारियों का जोखिम आच्छादित हो सके ।

14. कर्मपुस्ती और प्रतिवेदन:-

1) मालिक प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए कर्मपुस्ती संधारित करेगा तथा उसमें परिचालन ठप हो जाना (विद्युत आपूर्ति चली जाने से भिन्न) और दुर्घटना, यदि कोई हो, तो दर्ज करेगा । इस कर्मपुस्ती का निरीक्षण निरीक्षक द्वारा जब और जैसे चाहें किया जा सकता है;

2) जब कभी किसी ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के परिचालन पद्धति में कोई दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है, तो मालिक 24 घंटे के भीतर दुर्घटना का पूरा ब्यौरा ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर

के लिए कार्य करने वाले निरीक्षक को यथा विहित फारम में देगा और निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना इसे पुनः चालु नहीं करेगा;

15. समवर्ती दायित्व:-

ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के किसी सुरक्षा उपबंध के ठीक से कार्य नहीं करने के चलते दुर्घटना होने की दशा में यथास्थिति, लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन या रख-रखाव कम्पनी पर भी अभियोजन चलाया जा सकता है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन दण्ड का भागी ठहराया जा सकता है ।

16. बंद होने की सूचना देना:-

यदि किसी भवन में जहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किये गये हैं, वह कार्य नहीं करता है तो मालिक द्वारा इसकी सूचना एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को दी जायेगी ।

17. जीवन विस्तार:-

परिसरों में अधिष्ठापित लिफ्ट या एस्केलेटर को उसके अधिष्ठापन के बीस वर्षों की अवधि के पश्चात मालिक द्वारा बदल दिया जायेगा। ऐसा बदलाव लिफ्ट या एस्केलेटर के अधिष्ठापन के 21वें वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा तथा मालिक धारा-4 के अधीन नया निबंधन के लिए आवेदन करेगा ।

18. शिथिल करने की शक्ति:-

सरकार लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध को ऐसी शर्त के अध्यधीन, जो वह उचित समझे शिथिल कर सकती है ।

19. शक्तियों का प्रत्यायोजन:-

सरकार इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत शक्तियों को किसी ऐसे पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है, जिसे वह उचित समझे ।

20. शास्ति:-

जो कोई इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह दोष सिद्धि होने पर तीन माह तक का कारावास या पचास हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा तथा लगातार उल्लंघन करने पर प्रथम बार ऐसे उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात जारी उल्लंघन के दौरान प्रतिदिन एक हजार रूपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा ।

21. अपराध का संज्ञान:-

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद के अलावे कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण:-

इस अधिनियम या एतद्धान बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुपालन में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने से आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेंगी ।

23. नियम बनाने की शक्ति:-

1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है;

2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी बात का उपबंध किया जा सकता है:-

क) लिफ्टों या एस्केलेटरों के लिए विनिर्देश;

ख) रीति, जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर की परिनिर्माण योजना प्रस्तुत की जाती है;

ग) रीति, लिफ्टों या एस्केलेटरों की जाँच की जाती है;

घ) लिफ्ट या एस्केलेटर के परिनिर्माण हेतु अनुमति का आवेदन प्रपत्र तथा ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति;

ड-) धारा-1 की उपधारा-(4) के अधीन भेजे जाने वाले समापन प्रतिवेदन का फारम;

च) शर्तें एवं बंधेज और निर्बंधन और फारम जिनके अध्यधीन लिफ्टों या एस्केलेटरों की अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है तथा ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए भुगतान किये जाने वाले शुल्क;

छ) रीति और बंधेज जिनके अध्यधीन लिफ्ट या एस्केलेटर कार्य करेंगे;

ज) रीति, जिसमें धारा-14(2) के अधीन दुर्घटना की सूचना दी जायेगी;

झ) अपील करने का फारम एवं रीति; और

ञ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जानेवाला हो या विहित किया जा सके;

3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जायेगा, जब वह सत्र में हो, यदि सदन सहमत हो जाता है कि नियम में उपांतरण किया जाय अथवा नियम बनाया ही नहीं जाय, तो नियम यथास्थिति, उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा तथापि ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

24. व्यावृति:-

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) या एतद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों पर प्रभावी नहीं होगी ।

उद्देश्य एवं हेतु

लिफ्ट एवं एस्कलेटर प्रणाली का असुरक्षित अधिष्ठापन, उपयोग, रख-रखाव तथा अन्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानों की कमी के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है | इस स्थिति में इस प्रणाली के सुरक्षित अधिष्ठापन, उपयोग, रख-रखाव, आवश्यक मरम्मती एवं बदलाव तथा भारतीय मानक ब्यूरो के माप्दंतों के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु इज ऑफ डुइंग बिजनेस के सिंगल विण्डो क्लियरेंस एक्ट, 2015 के तहत राज्य सरकार को लिफ्ट एवं एस्कलेटर अधिनियम की आवश्यकता है |

विधेयक का लक्ष्य इन उद्देश्यों की पूर्ति है |

रघुवर दास,
भार-साधक सदस्य ।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

11 अगस्त, 2017 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-16/2017- 2453 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 11 अगस्त, 2017 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है । प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव

झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

[वि०स०वि०-12/2017]

"झारखण्ड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी, लाभ और सेवा प्रदाय) विधेयक, 2017"

सुशासन, लक्षित सहायिकी, लाभ एवं सेवा जिनके लिए राज्य की संचित निधि से सम्पूर्ण व्यय किया जाता है, प्रदान करने के कारगर, पारदर्शी उपाय तथा उनसे सम्बद्ध मामलों के लिए झारखण्ड राज्य के निवासी व्यक्ति-विशेष की एक मात्र पहचान के रूप में आधार के उपयोग हेतु प्रावधान के लिए विधेयक ।

चूँकि सुशासन, लक्षित सहायिकी, लाभ एवं सेवा जिनके लिए राज्य की संचित निधि से सम्पूर्ण व्यय किया जाता है, प्रदान करने के कारगार, पारदर्शी उपाय तथा उनसे सम्बद्ध मामलों के लिए झारखण्ड राज्य के निवासी व्यक्ति-विशेष की एक मात्र पहचान के रूप में आधार के उपयोग हेतु नियम बनाना समीचीन हो गया है, यह भारत गणतंत्र के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड आधार (लक्षित **वित्तीय** और अन्य सहायिकी, लाभ एवं सेवा प्रदाय) अधिनियम, 2017 कहलाएगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकती है तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद किसी ऐसे उपबंध में दिया गया कोई निर्देश उस उपबंध के प्रारम्भ होने के निर्देश के रूप में माना जाएगा ।

2. परिभाषाएँः-

(1) जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो तब तक इस अधिनियम में-

(क) ''आधार संख्या'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा-3 के अधीन किसी व्यक्ति-विशेष के लिए निर्गत पहचान संख्या;

(ख)''राज्य सरकार का अभिकरण'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य में केन्द्रीय या राज्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकार या निकाय जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्वत्वधारी एवं नियंत्रित स्थानीय निकाय एवं कोई अन्य निकाय तथा ऐसे निकाय जिनका गठन एवं प्रशासन राज्य सरकार द्वारा प्रमुख रूप में नियंत्रित हो, शामिल है;

(ग)''अधिप्रमाणन'' से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति-विशेष से संबंधित जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना के साथ-साथ आधार संख्या को केन्द्रीय पहचान डाटा संग्रह में इसके सत्यापन के लिए दिया जाता है और यह संग्रह उसमें उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर उसकी शुद्धता या उसकी कमी को सत्यापित करता है,

(घ)''लाभ'' से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति-विशेष या व्यक्तियों के समूह को नगद या वस्तु के रूप में दिया गया कोई फायदा, उपहार, राहत या भुगतान तथा इसमें ऐसे अन्य फायदे भी शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएँ;

(ड़)''बायोमेट्रिक सूचना'' से अभिप्रेत है फोटोग्राफ, अंगुलि-छाप, आइरीस स्कैन अथवा केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति-विशेष के ऐसे अन्य जैविक प्रतीक;

(च) ''केन्द्रीय अधिनियम'' से अभिप्रेत है आधार (लक्षित **वित्तीय** एवं अन्य सहायिकी, लाभ एवं सेवा प्रदाय) अधिनियमय 2016 (2016 का 18)

(छ) ''केन्द्रीय पहचान डाटा संग्रह'' से अभिप्रेत है एक या अधिक स्थानों में केन्द्रीकृत डाटा आधार जिसमें व्यक्ति-विशेष की सुसंगत जनसांख्यिकी सूचना एवं बायोमेट्रिक सूचना तथा उनसे संबंधित अन्य सूचनाओं के साथ-साथ आधार संख्या धारकों को निर्गत सभी आधार संख्याएँ शामिल है;

(ज) ''राज्य की संचित निधि'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य की संचित निधि;

(झ) ''जनसांख्यिकी सूचना'' में शामिल है केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति-विशेष के नाम, जन्म तिथि, पता एवं अन्य संगत सूचनाएँ किन्तु इनमें वंश, धर्म, जाति, जनजाति, विजाति, भाषा, हकदारी के अभिलेख, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं है ।

(ञ) ''पंजीयन'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित व्यक्ति-विशेष के लिए आधार संख्या निर्गत करने के प्रयोजनार्थ पंजीयन अभिकरणों द्वारा उनसे जनसांख्यिकी एवं बायोमेट्रिक सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया;

(ट) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;

(ठ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए नियमों द्वारा विहित;

(ड) ''सेवा'' से अभिप्रेत है व्यक्ति-विशेष या व्यक्तियों के समूह को किसी रूप में दिया गया कोई प्रावधान, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता तथा इसमें ऐसी अन्य सेवाएँ भी शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सके;

(ढ) ''सहायिकी'' से अभिप्रेत है व्यक्ति-विशेष या व्यक्तियों के समूह को नगद या वस्तु के रूप में दिया गया कोई सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग तथा इसमें ऐसी अन्य सहायिकी भी शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएँ;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है ।

3. कतिपय सहायिकी, लाभ एवं सेवा आदि प्राप्त करने के लिए आधार संख्या का प्रमाण आवश्यकः-

यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई अभिकरण ऐसे व्यक्ति-विशेष की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ जो राज्य सरकार की संचित निधि अथवा राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा गठित कोई निधि या उसके किसी भाग से सम्पूर्ण रूप में व्यय होने वाली सहायिकी, लाभ या सेवा प्राप्त करना चाहते हैं उनके अधिप्रमाणन के लिए शर्त के रूप में अथवा प्रमाण के रूप में आधार संख्या देने की अथवा ऐसे व्यक्ति-विशेष के पास आधार संख्या नहीं रहने पर उनसे एतदर्थ पंजीयन हेतु आवेदन देने की अपेक्षा करती है ।

परन्तु जबतक किसी व्यक्ति-विशेष को आधार संख्या नहीं मिल जाती है तबतक उसे सहायिकी, लाभ या सेवा प्रदान करने के लिए पहचान हेतु वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने का विकल्प दिया जाएगा ।

4- राज्य सरकार द्वारा स्कीमों की अधिसूचनाः-

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन माह के भीतर एवं इसके पश्चात् समय-समय पर ऐसी स्कीमों, सहायिकियों, लाभों या सेवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिनके लिए धारा-3 के अनुसार ऐसा अधिप्रमाणन या प्रमाण अपेक्षित है ।

5. केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय- III और VI का लागू होनाः-

केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय- **III और VI** के उपबंधइस अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन हेतु यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

6. अधिनियम का अतिरिक्त होना और किसी अन्य नियम का अल्पीकरण नहीं होनाः-

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करने वाले होंगे ।

7. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षणः-

इस अधिनियम या एतद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या किए जाने से आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जायेंगी ।

8. नियम बनाने की शक्तिः-

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है ।

(2) विशिष्टताया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी बात का उपबंध किया जा सकता हैः-

(क) विभिन्न सहायिकी, लाभ, सेवा एवं अन्य प्रयोजन, जिनके लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सके, प्रदान करने या उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ आधार संख्या के उपयोग करने की रीति विनिर्दिष्ट करना;

(ख) कोई अन्य बात जो अपेक्षित हो अथवा नियमों को बनाए जाने वाले उपलबंधों के संबंध में अपेक्षित हो सके, विनिर्दिष्ट करना ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के तुरन्त बाद राज्य विधान मंडल के समक्ष, जब वह कुल तीस दिनों की अवधि के लिए जो एक सत्र या दो या उससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों से पूरा हो सके, रखा जाएगा, और यदि उस सत्र के अवसान के पूर्व जिसमें वह रखा गया था अथवा उसके तुरन्त बाद आने वाले सत्र या सत्रों में राज्य विधान मंडल किसी नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाता है अथवा राज्य विधान मंडल सहमत हो जाता है कि नियम बनाया ही नहीं जाए तथा इस आशय का अपना विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित कर देता है तो अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से यह नियम यथास्थिति, उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी ही नहीं होगा, तथापि ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गयी या करने के लिए छोड़ी गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

9. कठिनाई दूर करने की शक्तिः-

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अवसरानुसार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर कुछ ऐसा उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो तथा जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि-अवसान के पश्चात इस प्रकार का कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) उप-धारा-(1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के तुरन्त बाद राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्य एवं हेतु

''आधार (लक्षित **वित्तीय** एवं अन्य सहायिकी, लाभ और सेवा प्रदाय) अधिनियम, 2016 पर दिनांक 25 मार्च, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी । अधिनियम के अध्याय-3 की कंडिका-7 निम्नलिखित हैः-

''यथास्थिति, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति-विशेष की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, जो भारत की संचित निधि या उसके किसी भाग से व्यय होने वाली सहायिकी, लाभ या सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके अधिप्रमाणन कराने के लिए शर्त के रूप में अथवा प्रमाण के रूप में आधार संख्या देने की अथवा ऐसे व्यक्ति-विशेष के पास आधार संख्या नहीं रहने पर उनसे एतदर्थ पंजीयन हेतु आवेदन देने की अपेक्षा करती हैः

परन्तु व्यक्ति-विशेष के पास आधार संख्या नहीं रहने पर उन्हें सहायिकी, लाभ या सेवा प्रदान करने के लिए पहचान हेतु वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने का विकल्प दिया जाएगा ।''

सहायिकी, लाभ एवं सेवा, जिनपर झारखण्ड राज्य संचित निधि से व्यय किया जाता है, इस केन्द्रीय अधिनियम में शामिल नहीं है। इन सहायिकी, लाभ एवं सेवा में आधार के प्रयोग के लिए झारखण्ड सरकार राज्य के आवश्यकतानुसार अपना राज्य आधार विधेयक बनाना चाहती है ।

विधेयक का लक्ष्य इन उद्देश्यों की पूर्ति है ।

रघुवर दास,

भारसाधक सदस्य

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 अगस्त, 2017 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-14/2017- 2462 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 12 अगस्त, 2017 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है। प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव

झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

[वि०स०वि०-16/2017]

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

झारखण्ड धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2017

बल प्रयोग, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधन का उपयोग करते हुए एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मान्तरण तथा इससे जुड़े आनुषांगिक मामले के प्रतिषेध का उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।

भारतीय गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(1) यह विधेयक झारखण्ड धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2017 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ - जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तबतक इस विधेयक में :-

(क) ''प्रलोभन'' से अभिप्रेत है निम्नलिखित रूप में किसी लालच का प्रस्ताव -

(i) नगद या वस्तु के रूप में कोई उपहार या परितोषण,

(ii) कोई सामग्री लाभ, आर्थिक या अन्यथा देना,

(ख) ''धर्मान्तरण'' से अभिप्रेत है एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अंगीकार करना,

(ग) ''धर्मान्तरित'' से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का एक धर्म छोड़ना और दूसरा धर्म अंगीकार करना,

(घ) ''बल प्रयोग'' के अन्तर्गत बल-प्रदर्शन या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसमें दैवी अप्रसाद या सामाजिक बहिष्कार की धमकी सम्मिलित है, शामिल होंगे,

(ड़) ''कपट'' में दुर्व्यपदेशन या कोई अन्य कपटपूर्ण उपाय सम्मिलित होगा,

(च) ''देशी आस्था'' से अभिप्रेत है ऐसा धर्म, विश्वास एवं परम्पराएँ जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, पर्व-त्योहार, अनुसरण, प्रदर्शन, वर्जना, प्रथाएँ जैसा कि झारखण्ड में अनुसूचित

जनजाति समुदाओं के द्वारा स्वीकृत, मान्य तथा व्यवहार्य है, जब से ऐसे समुदाय जाने जाते हैं,

(छ) ''अप्राप्त वय'' से अभिप्रेत है अठारह वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति,

(ज) ''धार्मिक आस्था'' से अभिप्रेत है धर्म से जुड़ी आस्था, जिसमें देशी आस्था भी सम्मिलित है ।

3. <u>बलपूर्वक धर्मान्तरण का प्रतिषेध</u> :-

कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा बलपूर्वक, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन के द्वारा एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित नहीं करेगा या करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही ऐसे धर्मान्तरण का दुष्प्रेरण करेगा ।

4. <u>धारा-3 के उपबंध के उल्लंघन के लिए दंड</u> -

धारा-3 में अन्तर्विष्ट उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति किसी नागरिक दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्षों तक कारावास अथवा पचास हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा,

परन्तु यदि यह अपराध अप्राप्त वय, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के प्रति किया गया है तो कारावास चार वर्षों तक और जुर्माना एक लाख रूपये तक होगा ।

5. <u>धर्मान्तरण के लिए पूर्वानुमति</u> -

(1) जो कोई किसी व्यक्ति को एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित करने के निमित्त एक धार्मिक पुरोहित के रूप में स्वयं किसी संस्कार का आयोजन करता है अथवा ऐसे संस्कार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर भाग लेता है, उसे ऐसे प्रस्तावित धर्मान्तरण के लिए संबंधित जिला दंडाधिकारी से नियमावली द्वारा यथाविहित प्रारूप में आवेदन देकर पूर्वानुमति लेनी होगा ।

(2) धर्मान्तरित व्यक्ति ऐसे धर्मान्तरण के तथ्यों के साथ जिस जिले में ऐसे संस्कार का आयोजन हुआ है उस जिला के जिला दंडाधिकारी को नियमों द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर और यथाविहित प्रारूप में संसूचित करेगा ।

(3) जो कोई पर्याप्त कारण के बिना उपधारा-(1) एवं (2) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो वह एक वर्ष तक कारावास या पाँच हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

6. <u>अपराध का संज्ञेय होना</u> :-

इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा तथा इसका अनुसंधान पुलिस निरीक्षक से निम्न पद के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

7. <u>अभियोजन की स्वीकृति</u> :-

इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई भी अभियोजन जिला दंडाधिकारी द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से ही या अनुमण्डल पदाधिकारी के पद से अन्यून पद के ऐसे पदाधिकारी, जिसे कि वह (जिला दंडाधिकारी) इस संबंध में प्राधिकृत करे, द्वारा या पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा ।

8. <u>नियम बनाने की शक्ति</u> :-

राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

उद्देश्य एवं हेतु

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में कतिपय स्थानों पर जबरदस्ती या प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके से आमजनों का एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मान्तरण किया जा रहा है। असामाजिक तथा स्वार्थी तत्वों द्वारा गॉव के गरीब, अनपढ़ एवं समाज के पिछड़े व्यक्तियों को लक्षित कर जबरन, धोखे अथवा प्रलोभन से धर्मान्तरण किये जाने से समाज में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है।

अतः आम आदमी को अपने-अपने धर्म का पालन अपनी इच्छानुसार करने में पूर्ण स्वतंत्रता मिलने हेतु एवं सामान्य विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति कायम करने के उद्देश्य से जबरन या प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके द्वारा धर्मान्तरण पर रोक लगाने के लिए " झारखण्ड धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2017 " को पारित किया जाना आवश्यक है ।

विधेयक का लक्ष्य इन उद्देश्यों की पूर्ति है ।

रघुवर दास,

भार-साधक सदस्य ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 अगस्त 2017 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-21/2017- 2471 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 12 अगस्त, 2017 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है । प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव

झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

[वि०स०वि०-14/2017]

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणतंत्र के 68वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो : -

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**

(i) यह अधिनियम 'झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017' कहलाएगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. **झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (4) का प्रतिस्थापन**

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (4) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है :-

''झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा घरेलु एवं गैर-घरेलु (व्यवसायिक) प्रयोजनार्थ की जानेवाली जलापूर्ति के लिए उस दर से भुगतान किया जाएगा, जो नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय ।

परन्तु यह दर, जहां तक व्यवहार्य हो, जल संकर्म (वाटर वर्क्स) संबंधी प्रबंधन, परिचालन, अनुरक्षण, मूल्यह्रास तथा ऋण शोधन एवं अन्य प्रभार, वितरण लागत, वितरण-हानि, यदि कोई हो, सहित, सभी आच्छादित होंगे ।''

उद्देश्य एवं हेतु

'झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000' की धारा 90 (4) में प्रावधानित है कि प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित भवन मालिकों को आपूर्ति की जा रही जल के विरूद्ध जलकर के रूप में 4 रू० प्रति हजार गैलेन से अधिक की दर निर्धारित नहीं की जाय ।

ज्ञात हो कि खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के लागू होने के समय से अबतक मुद्रास्फीति (मुल्य वृद्धि) की दर में काफी वृद्धि हुई है । अतएव 4.00/- रू० प्रति हजार गैलन की दर पर जलापूर्ति करने से खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के आत्मनिर्भरता तथा कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान पर प्रतिकूल असर पड़ेगा ।

इस संबंध में प्राधिकार के द्वारा सूचना दी गई है कि जलापूर्ति एवं इसके स्थापना व्यय, विद्युत ऊर्जा व्यय, पम्प, मोटरों की मरम्मति तथा पाईप लाईनों का रख-रखाव में खर्च में वृद्धि के कारण शुद्ध पेयजल एवं अन्य जल के उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि हो रही है ।

अतएव, इस स्थिति में प्राधिकार के द्वारा आपूर्ति किये जा रहे जल के लिए उत्पादन लागत अधिक है एवं इसके विरूद्ध वसूल की जानेवाली जलकर की राशि अत्यल्प है, जिससे प्राधिकार को प्रतिवर्ष आर्थिक क्षति हो रही है एवं भविष्य में निर्बाध जलापूर्ति में समस्या उत्पन्न हो सकती है ।

अतः आवश्यक है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा घरेलु एवं गैर घरेलु (व्यवसायिक) प्रयोजनार्थ की जा रही जलापूर्ति के लिए दरों को व्यवहारिक बनाने हेतु अधिनियम को संशोधित करते हुए विशिष्ट प्रावधान समाविष्ट किये जायें ।

तदनुसार उपरोक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसे अधिनियमित करना इस विधेयक का अभिष्ठ है ।

चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,
भार साधक-सदस्य ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

5 अगस्त, 2017

संख्या-4/नि०सं०-12-140/2014 का.-8753-- श्रीमती पूर्णिमा कुमारी (झा०प्र०से०, तृतीय बैच) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महेशपुर, पाकुड़ का दिनांक 1 मार्च, 2017 से 10 अप्रैल, 2017 तक कुल 41 दिनों का उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के आलोक में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

11 अक्टूबर, 2017

परीक्षा कार्यक्रम

संख्या- 01-- झारखण्ड राज्य में पदस्थापित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों की द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, **2017** तथा अराजपत्रित कर्मचारियों (सचिवालय संवर्ग को छोड़कर) की द्वितीय अर्द्धवार्षिक जनजातीय भाषा की परीक्षा, **2017** का आयोजन दिनांक **20 नवम्बर, 2017** से **27 नवम्बर, 2017** तक सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों यथा राँची, हजारीबाग, दुमका, पलामू तथा चाईबासा स्थित परीक्षा केन्द्र पर किया जाएगा । परीक्षा के सभी विषयों का समय एवं तिथि निम्नलिखित तालिका में वर्णित है :-

20.11.2017

09 बजे पूर्वाह्न

क्रमांक	विषय कोड	विषय	घंटे
1.	**02**	जनजातीय भाषा संथाली- राजपत्रित/ अराजपत्रित सेवा के लिए	**03**
2.	**03**	जनजातीय भाषा मुंडारी- राजपत्रित/ अराजपत्रित सेवा के लिए	**03**
3.	**04**	जनजातीय भाषा उराँव/ कुड़ुख-राजपत्रित/ अराजपत्रित सेवा के लिए	**03**
4.	**05**	जनजातीय भाषा हो राजपत्रित/ अराजपत्रित सेवा के लिए	**03**

21.11.2017

09 बजे पूर्वाह्न

5.	**01**	हिन्दी- सभी सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।	**03**

02 बजे अपराह्न

6. **1106** विकास (पुस्तक रहित) - असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **02**

7. **1216** विधि भाग-**2 (**पुस्तक रहित) - वित्त सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **01** घंटा **30** मिनट

8. **1321** विधि पत्र-**1(**पुस्तक रहित)-भारतीय आरक्षी सेवा के पदिधिकारियों के लिए **03**

9. **1424** विधि पत्र-**1(**पुस्तक रहित)-झारखंड आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

10. **1736** भू-राजस्व प्रणाली (पुस्तक रहित)- वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

11. **1527** विधि भाग-**1-**पत्र-**1 (**पुस्तक रहित) भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

12. **2046** लेखा (पुस्तक रहित)-पशुपालन सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

13. **1942** लेखा पत्र-**1 (**पुस्तक रहित)-झारखंड सूचना एवं जन सम्पर्क सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **01**घंटा **30** मिनट

14. **2972** बजट एवं संविधान (पुस्तक रहित)- सहायक एवं उप-लेखा नियंत्रक (वित्त विभाग) के लिए । **02**

15. **3074** बजट एवं संविधान तथा निर्माण लेखा (पुस्तक सहित)- अंकेक्षकों तथा वरीय अंकेक्षकों के लिए । **03**

16. **1839** विधि भाग-**1(**पुस्तक रहित)- वरीय जिला अभियोजकों के लिए । **03**

17. **2249** उत्पाद एवं दण्ड विधि (पुस्तक रहित)- निम्न स्तर- उत्पाद सेवा के पदाधिकारियों

के लिए । **03**

18. **2250** उत्पाद एवं दण्ड विधि (पुस्तक रहित)-उच्च स्तर- उत्पाद सेवा के पदाधिकारियों के लिए **03**

19. **2354** प्रक्रिया विधि एवं साक्ष्य विधि (पुस्तक रहित)-न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

20. **2456** शैक्षिक विकास (पुस्तक रहित)-झारखण्ड शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।

01 घंटा **30** मिनट

21. **2559** विधि और नियमावली (पुस्तक रहित)-निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **02**

22. **3278** सामान्य विधि (पुस्तक सहित)-सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग) के पदाधिकारियों के लिए **03**

23. **3486** विभागीय कार्य (पुस्तक रहित) झारखण्ड राष्ट्रीय बचत सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

22.11.2017

09 बजे पूर्वाह्न

24. **1107** विधि भाग-**1 (**पुस्तक रहित)- असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।

01 घंटा **30** मिनट

25. **2457** शिक्षा विधि (पुस्तक रहित)-झारखंड शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

26. **1218** लेखा भाग-**1 (**पुस्तक रहित)-वित्त सेवा तथा सहायक एवं उप-लेखा नियंत्रक के लिए । **03**

27. **2867** प्रिंसपुल ऑफ पेनोलॉजी एवं क्रिमिनोलॉजी (पुस्तक रहित)- कारा सेवा के

पदाधिकारियों के लिए । **01** घंटा **30** मिनट

28. **3075** सेवा**,** शर्तें तथा सम्बद्ध विषय (पुस्तक रहित)-अंकेक्षकों तथा वरीय अंकेक्षकों के लिए । **03**

29. **1944** पत्रकारिता सिद्धांत (पुस्तक रहित)-झारखंड सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**,** रिपोर्टिंग एवं सम्पादन के पदाधिकारियों के लिए । **03**

30. **3793** विभागीय विधि(पु० रहित) झारखण्ड कल्याण सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **01** घंटा **30** मिनट

02 बजे अपराह्न

31. **1322** विधि पत्र-**2(**पुस्तक सहित)-भारतीय आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

32. **1425** विधि पत्र-**2(**पुस्तक सहित)-झारखंड आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

33. **2047** लेखा (पुस्तक सहित)-पशुपालन सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

34. **1943** लेखा पत्र-**2 (**पुस्तक सहित)-झारखंड सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के पदाधिकारियों के लिए । **01** घंटा **30** मिनट

35. **2251** उत्पाद नियम एवं प्रक्रिया (पुस्तक सहित)-निम्न स्तर-उत्पाद सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

36. **2252** उत्पाद नियम एवं प्रक्रिया (पुस्तक सहित)-उच्च स्तर-उत्पाद सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

37. **2355** उच्च न्यायालय सामान्य नियम एवं परिपत्र आदेश (पुस्तक सहित)-न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

38. **1528** विधि भाग-**1** पत्र-**2** (पुस्तक सहित)-भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए **03**

39. **1108** विधि भाग-**1** (पुस्तक सहित)-असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **01** घंटा **30** मिनट

40. **3076** लेखा तथा वित्त नियमावली (पुस्तक सहित)-अंकेक्षकों तथा वरीय अंकेक्षकों के लिए । **03**

41. **1217** विधि भाग-**2** (पुस्तक सहित)-वित्त सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **01** घंटा **30** मिनट

42. **2764** नहर विधि-ए (पुस्तक सहित)-लोक निर्माण, सिंचाई, नदी घाटी योजना एवं लघु सिंचाई विभाग के अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

43. **2868** कारा प्रशासन (पुस्तक सहित)-कारा सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

44. **1840** विधि भाग-**2** (पुस्तक सहित)-वरीय जिला अभियोजकों के लिए । **03**

45. **2458** सेवा, नियम और लेखा (पुस्तक रहित)-झारखंड शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **01** घंटा **30** मिनट

46. **3485** लेखा एवं प्रशासनिक कार्य (पुस्तक सहित) राष्ट्रीय बचत सेवा के पदाधिकारियों के लिए **03**

47. **3279** राजस्व विधि (पुस्तक सहित) सहकारिता सेवा(प्रशासनिक प्रभाग) के लिए । **03**

23.11.2017

09 बजे पूर्वाह्न

48. **1219** लेखा भाग-**2** (पुस्तक रहित)-वित्त सेवा तथा सहायक एवं उप-लेखा नियंत्रकों के

लिए । **03**

49. **1632** लेखा (पुस्तक रहित)-कृषि सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

50. **1633** लेखा (पुस्तक रहित)-मत्स्य विकास पदाधिकारियों के लिए । **03**

51. **1634** लेखा (पुस्तक रहित)-माप एवं तौल सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

52. **1737** वन विधि (पुस्तक रहित)- वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

53. **1945** दृश्य एवं प्रचार (पुस्तक रहित)- झारखंड सूचना एवं जन सम्पर्क सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

54. **1109** विधि भाग-**2** (पुस्तक रहित)- असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।

01 घंटा **30** मिनट

55. **1529** विधि भाग-**2** पत्र-**1** (पुस्तक रहित)- भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए **03**

56. **2560** भाषा मौखिक एवं व्यावहारिक- निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के लिए । --------

57. **3383** सांख्यिकी भाग-**1** (पुस्तक रहित)-झारखण्ड सांख्यिकी सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **02** घंटा

02 बजे अपराह्न

58. **1220** लेखा भाग-**2** (पुस्तक सहित)-वित्त सेवा के पदाधिकारियों तथा सहायक एवं उप लेखा नियंत्रकों (वित्त विभाग) के लिए । **03**

59. **3077** अंकेक्षण तथा लागत लेखा (पुस्तक सहित)-अंकेक्षकों तथा वरीय अंकेक्षकों के लिए **03**

60. **2253** लेखा (पुस्तक सहित)-उत्पाद सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

61. **1635** लेखा (पुस्तक सहित)-कृषि सेवा**,** मत्स्य सेवा तथा माप-तौल सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

62. **1738** प्रक्रिया एवं लेखा (पुस्तक सहित)-वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

63. **1530** प्रक्रिया एवं लेखा (पुस्तक सहित)-भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

64. **2765** नहर विधि बी (पुस्तक सहित)-लोक निर्माण**,** सिंचाई**,** नदी घाटी योजना एवं लघु सिंचाई विभाग के अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

65. **2148** विधि (पुस्तक सहित)-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

66. **1841** लेखा (पुस्तक सहित)-वरीय जिला अभियोजकों के लिए । **03**

67. **1323** लेखा (पुस्तक सहित)-भारतीय आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

68. **1426** लेखा (पुस्तक सहित)-झारखंड आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

69. **1110** विधि भाग-**2 (**पुस्तक सहित)-असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **01** घंटा **30** मिनट

70. **3280** लेखा (पुस्तक सहित)-सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग) क लिए । **03**

71. **3384** सांख्यिकी भाग-**2 (**पुस्तक सहित) झारखण्ड सांख्यिकी सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **02** घंटा

72. **2871** विधि (पुस्तक रहित)- कारा सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **01** घंटा **30** मिनट

<u>24.11.2017</u>

<u>09</u> <u>बजे पूर्वाह्न</u>

73. **2973** ऑडिट एवं कॉस्ट एकाउटिंग (पुस्तक रहित)- सहायक एवं उप-लेखा नियंत्रकों (वित्त विभाग) के लिए । **03**

74. **1531** विकास और पर्यावरण (पुस्तक रहित)- भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03**

75. **1111** लेखा (पुस्तक रहित)- असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।

2662 चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों के लिए

2869 कारा सेवा के पदाधिकारियों के लिए

3381 सांख्यिकी सेवा के पदाधिकारियों के लिये

3587 बाल विकास परियोजना सेवा के पदाधिकारियों के लिए एवं

3689 औषधि नियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों के लिए

3791 कल्याण सेवा के पदाधिकारियों के लिए

3895 अग्र परियोजना एवं समकक्ष पदाधिकारियों के लिए ।(रेशम संवर्ग)

01 घंटा **30** मिनट

76. **1214** विधि भाग-**1** (पुस्तक रहित)-वित्त सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।

01 घंटा **30** मिनट

02.00 बजे अपराह्न

77. **1112** लेखा (पुस्तक सहित)- असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।

2561 निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के लिए

2663 चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों के लिए

2870 कारा सेवा के पदाधिकारियों के लिए

3382 झारखण्ड सांख्यिकी सेवा के पदाधिकारियों के लिए

3588 बाल विकास परियोजना सेवा के पदाधिकारियों के लिए एवं

3690 औषधि नियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों के लिए

3792 कल्याण सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।

3895 अग्र परियोजना एवं समकक्ष पदाधिकारियों के लिए । (रेशम संवर्ग)

01 घंटा **30** मिनट

78. **1215** विधि भाग-**1 (**पुस्तक सहित)-वित्त सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।

01 घंटा **30** मिनट

79. **2766** नहर विधि सी (पुस्तक सहित)-सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग के अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **01** घंटा **30** मिनट

27.11.2017

09 बजे पूर्वाह्न

80. **1213** कम्प्यूटर-वित्त सेवा के पदाधिकारियों के लिए । **03** घंटा

टिप्पणीः - **1.** जिन पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम परीक्षार्थी की सूची में नहीं रहेंगे उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । दिनांक **13 अक्टूबर, 2017** के **6.00** अपराह्न तक प्राप्त अग्रसारित आवेदन-पत्र पर ही प्रवेश-पत्र निर्गत किये जायेंगे । कार्यालय प्रधान द्वारा अर्हक उम्मीदवारों का विहित आवेदन प्रपत्र अपनी अनुशंसा के साथ केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची को यथा निर्धारित तिथि एवं समय पर भेजना सुनिश्चित किया जायगा ।

2. सभी परीक्षार्थी (पदाधिकारी/ कर्मचारी) अपने-अपने प्रमण्डलीय मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देंगे ।

3. जन-जातीय भाषा एवं हिन्दी की मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा के दिन **02** बजे अपराह्न से तथा अन्य दिन **09** बजे पूर्वान्ह से प्रारम्भ होगी । केन्द्राधीक्षक से स्थान एवं कार्यक्रम की सूचना परीक्षार्थी प्राप्त कर लेंगे ।

4. झारखण्ड निबंधन सेवा के सभी पदाधिकारियों का परीक्षा केन्द्र राँची होगा ।

5. झारखण्ड वित्त सेवा के सभी पदाधिकारियों के लिए **"**कम्प्यूटर**"** विषय की परीक्षा का केन्द्र **"**पुलिस हेडक्वार्टर**,** राँची स्थित वाणिज्यकर विभाग**,** राँची के कम्प्युटर डाटा सेंटर**"** पर की जायेगी ।

6. परीक्षार्थी केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र अपने साथ अवश्य लायेंगे ।

7. विभिन्न विषयों की पुस्तक सहित की परीक्षा में उन्हीं पुस्तकों का व्यवहार किया जा सकता है जिसमें मात्र अधिनियम एवं नियमावली हो । व्याख्या एवं प्रश्नोत्तरयुक्त पुस्तकों का व्यवहार प्रतिबंधित है ।

8. अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मचारी को इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा और न किसी प्रकार का दावा स्वीकार किए जायेंगे।

9. परीक्षा भवन के अन्दर किसी भी प्रकार के ईलेक्ट्रोनिक गैजेट्स (यथा मोबाईल**,** टैब इत्यादि) ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

केन्द्रीय परीक्षा समिति**,** झारखण्ड के आदेशानुसार**,**

सचिव**,**
केन्द्रीय परीक्षा समिति**,**
राजस्व पर्षद**,** झारखण्ड**,** राँची ।

REVENUE AND LAND REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

11 OCTOBER, 2017

Examination Programme

NO-01-- It is hereby notified for general information that the 2nd half yearly departmental examination, 2017 of Gazetted officers and 2nd half yearly tribal language examination, 2017 of non-gazetted employees (except secretariat cadre) posted in Jharkhand State will be held from dated 20 November, 2017 to 27 November, 2017 at Divisional headquarter- Ranchi, Hazaribagh, Dumka, Palamau and Chaibasa. The table below shows the date and hours fixed for each paper:-

20.11.2017

Morning 9.00 A.M.

S.No.	Sub. Code	**Subject:**	Hours
1.	02	Tribal language Santhali	3 hours
2.	03	Tribal language Mundari	3 hours
3.	04	Tribal language Oraon/ Kurukh	3 hours
4.	05	Tribal language Ho	3 hours

21.11.2017

Morning 9.00 A.M.

5.	01	Hindi-For officer's of all services	3 hours

Afternoon 2.00 P.M.

6.	1106	Development (without book) – For Civil Services officers	2 hours
7.	1216	Law part -II (without book) – For Finance service officers	1 hour 30 Minutes
8.	1321	Law paper-1 (without book)- For Indian Police Service Officers	3 hours
9.	1424	Law paper-I (without book)- For Jharkhand Police Service Officers	3 hours
10.	1736	Land Revenue System (without book)-For Jharkhand Forest Service Officers	3 hours
11.	1527	Law part-I paper-I (without book)- For Indian Forest Service Officers	3 hours
12.	2046	Accounts (without book)- For Animal husbandry service Officers	3 hours

13.	1942	Accounts paper-I (without book)- For Officers of Information & Public Relations	1 hours 30 Minutes
14.	2972	Budget & Constitution (without book)- For Asstt. & Deputy Controller of Accounts (Finance Deptt.)	2 hours
15.	3074	Budget & constitution & works Accounts (with book)- For Senior Auditors & Auditors	3 hours
16.	1839	Law Part-I (without book)- For Senior district prosecutors	3 hours
17.	2249	Excise & Criminal Laws Lower Standard (without book)- For Excise service officers	3 hours
18.	2250	Excise & Criminal laws Higher Standard (without book)- For Excise Service officers	3 hours
19.	2354	Procedural Law & Law of evidence (without book)- For Judicial Service Officers	3 hours
20.	2456	Educational Development (without book)- For Officers of Jharkhand Education Service.	1 hours 30 Minutes
21.	2559	Law & Rules (without book)- For officers of Jharkhand Registration service	2 hours
22.	3278	General Law (with book)- For officers of Co-Operative Services (Administrative wing only)	3 hours
23	3486	Departmental Works (without book)- For officers of Jharkhand National Saving Service	3 hours

22.11.2017

Morning 09.00 A.M.

24.	1107	Law Part I (without book)- For civil service officers	1 hours 30 Minutes
25.	2457	Education Law (without book)- For officers of Jharkhand Education service	3 hours
26.	1218	Accounts Part I (without book)- For Finance service officers and Asstt. and Deputy controller of Accounts (Finance Deptt.)	3 hours
27.	2867	Principle of penology and criminology (without book)- For Jail service officers	1 hours 30 Minutes
28.	3075	Service condition & allied subject (without book)- For Senior Auditors & Auditors)	3 hours
29.	1944	Journalism principles, Reporting & Editing (without book)-For officers of Information & public Relation	3 hours

30.	3793	Departmental Law (without Book) For Officers of Jharkhand Welfare Service	1 hours 30 Minutes

Afternoon:- 2.00 P.M.

31.	1322	Law Paper II (with book)-For Indian Police Service Officers	3 hours
32.	1425	Law Paper II (with book)-For Jharkhand Police Service Officers	3 hours
33.	2047	Accounts (with book)- For Animal Husbandry Service Officers	3 hours
34.	1943	Accounts Paper II (with book)- For officers of Information & Public Relations	1 hours 30 Minutes
35.	2251	Excise Rules & Procedure (with book)- Lower Std.- For Excise Service Officers	3 hours
36.	2252	Excise Rules & Procedure (with book)- Higher std.- For Excise Service Officers	3 hours
37.	2355	High court General Rules & circular orders (with book)-For Judicial Service Officers	3 hours
38.	1528	Law Part I Paper-2 (with book)- For officers of Indian Forest Service	3 hours
39.	1108	Law Part I (with book)- For Civil Service officers	1 hours 30 Minutes
40.	3076	Accounts & Financial Rules (with book)- For Senior Auditors & Auditors (Finance Deptt.)	3 hours
41.	1217	Law Part II (with book)- For Finance Service Officers	1 hours 30 Minutes
42.	2764	Canal Law Part-A (with book)- For officers of public works, Irrigation, River valley and unified minor irrigation Department	3 hours
43.	2868	Jail Administration (with book)- For Jail Service Officers	3 hours
44.	1840	Law Part II (with book)- For Senior District prosecutors	3 hours
45.	2458	Service Rules and Accounts (without book)- For Officers of Jharkhand Education Service	1 hours 30 Minutes
46.	3485	Accounts & Administrative Work (with book) For Officers of Jharkhand National Saving Service	3 hours
47.	3279	Revenue Law (with book) - For officers of Co-operative service (Administrative wing only)	3 hours

23.11.2017

Morning 09.00 A.M.

48.	1219	Accounts Part-II (without book)- For Finance Service Officers & Asstt. & Deputy controller of Accounts	3 hours
49.	1632	Accounts (without book)- For Agriculture Service Officers	3 hours
50.	1633	Accounts (without book)- For Fisheries Development Officers	3 hours
51.	1634	Accounts (without book)- For Officers of weight & measure section, Directorate of Agriculture.	3 hours
52.	1737	Forest Law (without book)- For Forest Service Officers	3 hours
53.	1945	Audio- visual publicity (without book)- For officers of Information & Public relation	3 hours
54.	1109	Law Part-II (without book)- For Civil Service Officers	1 hours 30 Minutes
55.	1529	Law Part-II Paper-I (without book)- For officers of Indian Forest Service.	3 hours
56.	2560	Language Oral & Practical- For Officers of Jharkhand Registration Service	----------
57.	3383	Statistics Part-I (Without Book)-For officers of Jharkhand Statistical Service.	2 hours

Afternoon- 02.00 P.M.

58.	1220	Accounts Part-II (with book)- For Finance Service Officers and Assitt. and Deputy controller of Accounts (Finance Deptt.)	3 hours
59.	3077	Audit & Cost Accounting (with book)- For Senior Auditors & Auditors	3 hours
60.	2253	Accounts (with book)- For Excise Service Officers	3 hours
61.	1635	Accounts (with book)- For Agriculture Service Officers including Officers of Fisheries and weight and measures section	3 hours
62.	1738	Procedure & Accounts (with book)- For Forest Service Officers	3 hours
63.	1530	Procedure & Accounts (with book)- For Officers of Indian Forest Service	3 hours
64.	2765	Canal Law Part-B (with book)- For officers of the Public works, Irrigation, River valley and unified Minor Irrigation Deptt.	3 hours
65.	2148	Law (with book)- For officers of Drinking water & Sanitation Deptt.	3 hours
66.	1841	Accounts (with book)- For Senior District Prosecutors	3 hours
67.	1323	Accounts (with book)- For Indian Police Service Officers	3 hours
68.	1426	Accounts (with book)- For officers of Jharkhand Police Service	3 hours
69.	1110	Law Part-II (with book)- For Civil Service Officers	1 hours 30 Minutes

70.	3280	Accounts (with book) - For officers of Co-operative service (Administrative wing only)	3 hours
71.	3384	Statistics Part-II (with book)-For officers of statistical service.	2 hours
72.	2871	Law (without book)- For Jail Service Officers	1 hours 30 Minutes

24.11.2017

Morning 09.00 A.M.

73.	2973	Audit & Cost Accounting (without book)- For Asstt. & Deputy Controller of Accounts (Finance Deptt.)	3 hours
74.	1531	Development & Environment (without book)- For officers of Indian Forest Service	3 hours
75.	1111 2662 2869 3381 3587 3689 3791 3894	Accounts (without book)- For Civil Service Officers Medical Officer Jail Service Officers Statistical Service For Jharkhand Child Development Project Officer For Drug Control Service & For Jharkhand Welfare Service For Pilot Project Officer & Equivalent Officer (Silk Cadre)	1 hours 30 Minutes
76.	1214	Law Part-I (without book)- For Finance Service Officers	1 hours 30 Minutes

Afternoon 02.00 P.M.

77.	1112 2561 2663 2870 3382 3588 3690 3792 3895	Accounts (with book)- For Civil Service Officers Jharkhand Registration Service Medical Service officers Jail Service Officers Jharkhand statistical service For Jharkhand Child Development Project Officer& For Drug Control Service Jharkhand Welfare Service For Pilot Project Officer & Equivalent Officer (Silk Cadre)	1 hours 30 Minutes
78.	1215	Law Part-I (with book)- For Finance Service Officers	1 hours 30 Minutes
79.	2766	Canal Law Part- C (with book)- For officers of Irrigation, River valley and unified Minor Irrigation Deptt.	1 hours 30 Minutes

27.11.2017

Morning 09.00 A.M.

80.	1213	Computer- For Finance Service Officers	3 hours

Notes:- Candidates, whose names do not appear in the list of candidates prepared by the Central Examination Committee, will not be permitted to sit at this examination. Admit card will be issued only for the forwarded application received by the 6.PM of 13.10. 2017

2- Examinee will appear at the examination at his/her respective divisional headquarters with admit card issued by CEC**.**

3- Viva- voce examination in tribal language and Hindi respectively will be held on the very day of written examination at 2.00 P.M. and on the other days from 9.00 A.M. Programme and venue for this should be ascertained by the candidates from the concerned Centre Superintendent.

4- The centre of examination of all officers of Registration service in the State will be at Ranchi.

5- The centre of examination of all officers of Finance Service in the State in "computer" subject will be at Commercial Taxes Department Headquarters at Ranchi.

6- Candidates must bring with them the Admit cards issued by the Central Examination Committee.

7- In Examination (with book) only those books will be allowed which contain bare acts and rules. The use of books containing annotations and questions based answers booklet is prohibited.

8- The applications as well as any claims of contract basis gazetted officers and non-gazetted employees will not be accepted.

9- Electronic Gazettes will be not allowed inside the Examination Hall.

By order of the Central Examination Committee, Jharkhand.

Secretary,
Central Examination Committee.
Board of Revenue, Jharkhand , Ranchi

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

11 अक्टूबर, 2017

विषयः- **खासमहाल/गैरमजरूआ भूमि की लीज बंदोबस्ती/भू-हस्तांतरण के दर निर्धारण की समीक्षा हेतु समिति गठित करने के संबंध में ।**

संख्या-7/खा.म. (नीति)-19/2016-/4985-रा.,-- खासमहाल/गैरमजरूआ भूमि की लीज बंदोबस्ती/भू-हस्तांतरण के दर निर्धारण की समीक्षा हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड - अध्यक्ष ।

2. अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड - सदस्य ।

3. सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड - सदस्य सचिव ।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

11 अक्टूबर, 2017

1. **संख्या-02/रा.स्था.-11/2016-4990/रा.,--** श्री अरूण कुमार मुंडा, झा.प्र.से., सेवाप्राप्त (गृह जिला-राँची) को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए अंचल अधिकारी, मझगांव, प० सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. **संख्या-02/रा.स्था.-11/2016-4991/रा.,--** मो० असलम, झा.प्र.से., सेवाप्राप्त (गृह जिला-चतरा) को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए अंचल अधिकारी, कांडी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित पदाधिकारियों को स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारी को नवपदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण करने हेतु अविलम्ब विरमित करेंगे एवं नवपदस्थापित पदाधिकारी का प्रभार आदान-प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे । नवपदस्थापित पदाधिकारी प्रभार प्रतिवेदन तुरंत सरकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकरियों के स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचनाएं विलोपित समझी जायगी ।

नव पदस्थापित पदाधिकारी अपने नवपदस्थापित स्थल पर एक सप्ताह के अन्दर योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । स्थानांतरित पदाधिकारी के अगले माह का वेतन का भुगतान स्थानांतरित स्थान से किया जाएगा ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

13 अक्टूबर, 2017

संख्या-5/स०भू०देवघर (D.R.D.O)-155/17-5032./रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **19 सितम्बर, 2017** में मद संख्या-**12** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में देवघर जिलांतर्गत अंचल मोहनपुर के मौजा-खड़ियाडीह, थाना संख्या-**797,** खाता संख्या-**26** खेसरा संख्या-**406** में अन्तर्निहित कुल रकबा-**0.70** एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि किस्म-गोचर विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के अनुसार निर्धारित दर **19,16,300/-(**उन्नीस लाख सोलह हजार तीन सौ) रूपये प्रति एकड़ के आधार पर संगणित सलामी की राशि **13,41,410/- (**तेरह लाख एकतालीस हजार चार सौ दस) रूपये, सलामी का **2** प्रतिशत वार्षिक आवासीय लगान का पूँजीकृत मूल्य की राशि **6,70,705/-(**छः लाख सत्तर हजार सात सौ पाँच) रूपये एवं लगान का **145**% सेस का पूँजीकृत मूल्य की राशि **9,72,522/-(**नौ लाख बहत्तर हजार पाँच सौ बाईस) रूपये मात्र अर्थात कुल देय राशि **29,84,637/- (**उनतीस लाख चौरासी हजार छः सौ सैंतीस) रूपये मात्र रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर **D.R.D.O.** देवघर की स्थापना हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने एवं उक्त गोचर भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु देवघर जिलान्तर्गत मोहनपुर अंचलांतर्गत मौजा-खड़ियाडीह, थाना संख्या-**797,** खाता संख्या-**08,** खेसरा संख्या-**224** में अन्तर्निहित कुल रकबा **0.70** एकड़ रैयती भूमि जो भू-अर्जन कार्यालय, देवघर के **L.A. Case No.-05/10-11** द्वारा अधिग्रहित भूमि को गोचर अधिसूचित के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, देवघर प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातो एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) उपायुक्त, देवघर यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के तहत् सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

iii) परियोजना के अंतर्गत पड़नेवाली वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

iv) उपायुक्त, देवघर द्वारा भूमि हस्तांतरण के पूर्व अधियाची विभाग से विषयगत परियोजना मे सन्निहित कुल देय राशि का एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी ।

v) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **"0029** भू-राजस्व-**107"** के अंतर्गत जमा होगी ।

vi) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2 (I**) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

vii) अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014,** इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

viii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है**,** उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व**,** निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

ix) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०**,** दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा**,** परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

अनु०-यथोपरि ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2017

संख्या-09/आरोप-राँची-72/2017-5111(09),-- श्री जलील अहमद अंसारी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, अनगड़ा सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा नियम विरूद्ध तथ्यों को छुपाते हुए राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन का राजस्व पंजियों में समुचित जाँच किये बिना ही दाखिल-खारिज की अनुशंसा करने के आरोपों में जिला स्थापना उप समाहर्ता, राँची के पत्रांक-76 (i), दिनांक 13 मई, 2017 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ है ।

2. आरोप प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों एवं उसपर श्री अंसारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 16 के तहत श्री अंसारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री अंसारी को आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि से एक पक्ष के अंदर नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित बचाव/बयान प्रस्तुत करें ।

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-7192, दिनांक 22 अगस्त, 2016 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चंद्र झा, से.नि. भा.प्र.से. को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. अंचल अधिकारी, अनगड़ा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2017

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त-03/2017-5117/रा.,-- श्री शैलेश कुमार, अंचल अधिकारी, हेहल, राँची को उनके कार्यों के अलावे अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013** ("The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act.-2013") की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

20 अक्टूबर, 2017

संख्या-05/स० भू० कोडरमा रेल (DFCCIL)-161/17-5172/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **6 अक्टूबर, 2017** में मद संख्या-**03** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में कोडरमा जिलांतर्गत अंचल-जयनगर के मौजा-कटिया, थाना सं०-**173,** खाता सं०-**347** एवं प्लॉट सं०-**1492** में अंतर्निहित कुल रकबा **0.229** एकड़ गैरमजरुआ आम भूमि किस्म-रास्ता, विभागीय परिपत्र संख्या-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** की कंडिका-**2 (i)** के अनुसार निर्धारित दर **19,06,993/-(**उन्नीस लाख छः हजार नौ सौ तिरानवे) रूपये प्रति एकड़ के आधार पर संगणित सलामी राशि-**4,36,701/-(**चार लाख छत्तीस हजार सात सौ एक) रूपये मात्र, सलामी का **5** प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान का **25** गुणा पूँजीकृत मूल्य की राशि **5,45,876/-(**पाँच लाख पैंतालीस हजार आठ सौ छिहत्तर) रूपये मात्र, लगान का **145**% सेस का **25** गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि **7,91,521/- (**सात लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ इक्कीस) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **17,74,098/-(**सत्रह लाख चौहत्तर हजार अनठानवे) रूपये मात्र, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अदायगी पर **DFCCIL** विशेष रेल परियोजना हेतु विशेष रेल परियोजना **DFCCIL** भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, कोडरमा प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातां एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम **1980** के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही जंगल-झाड़ी भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई उपायुक्त, कोडरमा सुनिश्चित करेंगे ।

iii) संबंधित उपायुक्त द्वारा खासमहाल मेनुएल में विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश/परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

iv) यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

v) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **"0029** भू-राजस्व-**107"** के अंतर्गत जमा होगी ।

vi) यदि परियोजना के अंतर्गत अवसंरचना आदि है तो अधियाची विभाग द्वारा अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था कराया जाना उपायुक्त, कोडरमा सुनिश्चित करा लेंगे ।

vii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2** (प) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

viii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का

स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

ix) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

अनु०-यथोपरि ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2017

संख्या-2/भू०अ०प०नि०(अधि०पलामू बंदो०)-43/2014-605/न०रा०-- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-84 की उपधारा-(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल घोषित करते है कि पलामू बंदोबस्त के अंतर्गत पलामू जिला के अंचल-मेदिनीनगर के कुल-02 (दो) राजस्व ग्रामों में अधिकार का अभिलेख जिसका छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-83 की उपधारा-(2) के अंतर्गत अंतिम प्रकाशन हो चुका है, को अधिसूचित किया जाता है । इस अधिसूचना के द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार का अभिलेख तत्काल प्रभाव से निर्णायक साक्ष्य होगा ।

जिला-पलामू, अंचल-मेदिनीनगर के राजस्व ग्रामों की सूची :-

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं०	प्रकाशन की तिथि		वितरण की तिथि
1	2	3	4		5
01	सिगंरा कला	195	04.09.2017	04.10.2017	05.10.2017
02	सिंगरा खूर्द	194	04.09.2017	04.10.2017	05.10.2017

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

नवीन किशोर सुबर्णो,
सरकार के उप सचिव सह-उप निदेशक।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर, 2017

संख्या-13/नि०वि०अनु०-05/16-819/नि.--भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 (15/1872) की धारा-6 एवं 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, रेव्ह मनोज कुमार चरण, बेलडीह बापिस्ट चर्च, बेलडीह त्रिंगल, पो०+था०-बिस्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), 831001, झारखण्ड को भारतीय ईसाई धर्मावलंबियों के बीच विवाह अनुष्ठान कराने तथा विवाह प्रमाण-पत्र देने हेतु विवाह निबंधक नियुक्त करते है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव ।

योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संकल्प

18 अक्टूबर, 2017

विषय: स्कीम संख्या-21169 के अन्तर्गत एच.ई.सी. एरिया, राँची के लिए प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कार्य हेतु हुडको से रूपये 216.00 करोड़ (दो सौ सोलह करोड़ मात्र) का ऋण आहरण करने की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या:- अर्थोपाय (30)-08/2017/666/बजट, -- भवन निर्माण विभाग द्वारा एच॰ई॰सी॰ एरिया, राँची के लिए प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कार्य, योजना संख्या 21169 के अन्तर्गत किया जा रहा है । इस हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमि० हुडको से रूपये 216.00 करोड़ (दो सौ सोलह करोड़ मात्र) का व्यय ऋण आहरण से एवं शेष राशि का व्यय आंतरिक संसाधन से किए जाने कि मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न शत्र्तों के साथ आहरण करने का निर्णय लिया जाता है :-

2. उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमि० (हुडको) के पत्र सं०-HUDCO/RNRO/21169/2017/539, दिनांक 8 अगस्त, 2017 के द्वारा रूपये 216.00 करोड़ (दो सौ सोलह करोड़ मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया है । ऋण की सामान्य एवं विशेष शर्त्तें ANNEXURE-A में अंकित है ।

3. उक्त योजना का कुल Outlay रूपये 246.62 करोड़ (दो सौ छियालीस करोड़ बासठ लाख मात्र) का है, जिसके लिए हुडको से रूपये 216.00 करोड़ (दो सौ सोलह करोड़ मात्र) का ऋण आहरण किया जायेगा तथा शेष रूपये 30.62 करोड़ (तीस करोड़ बासठ लाख मात्र) राज्य के आंतरिक संसाधन से पूरा किया जायेगा ।

4. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासी विभाग के राज्यादेश संख्या 232 (भ॰) दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा प्रदान की गई है । योजना का कार्य प्रारम्भ है । प्रशासी विभाग द्वारा व्ययित राशि का प्रगति प्रतिवेदन भी वित्त विभाग को उपलब्ध करायी गई है, जिसकी प्रतिपूर्ति हुडको ऋण से की जानी है ।

5. हुडको से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त प्रभाग (योजना सह वित्त विभाग) के माध्यम से वित्त प्रभाग (योजना सह वित्त विभाग), झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर हुडको से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा । ऋण की मूल राशि एवं इस पर देय ब्याज राशि का भुगतान वित्त प्रभाग (योजना सह वित्त विभाग) द्वारा बजट प्रावधान के विरूद्ध किया जायेगा ।

6. भवन निर्माण विभाग संचालित योजना का अपनी Website पर प्रारम्भ से अधतन की स्थिति संधारित करेगा। PMGSY के पैटर्न पर Online Monitoring किया जायेगा ।

7. चालू (On going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति भवन निर्माण विभाग विभागीय Website पर Upload करेगा ।

8. भवन निर्माण विभाग गुणवत्ता का स्वतंत्र Evaluator से भी Monitoring करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी Website पर Upload करेगा ।

9. यह संकल्प विभागीय संलेख-446/बजट, दिनांक 6 अक्टूबर, 20107 पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 में मद संख्या-11 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है ।

ह०/-

अमित खरे,

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 28--50 ।